न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
67/दावा/2023	10.07.2023	

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री घम्मनराम उम्र व्यस्क जाति बैरवा निवासी मानसरोवर अजमेर जिला अजमेर

......वादी

बनाम

1. रोशनबाई पत्नि स्व. धन्नालाल जाति नायक निवासी बाजड तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. मनमोहन पुत्र धन्नालाल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता रोशनबाई पत्नि धन्नालाल जाति नायक निवासी बाजड तह0 तालेडा जिला बून्दी
3. राधेश्याम पुत्र श्रवण लाल जाति नायक निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी
4. शांतिबाई पत्नि लछमन जाति नायक निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)
6. राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री नन्द सिंह सोंलकी
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री अनिल खीडिया

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 व 6 की विधिवत अविभाजित कृषि 1236 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, ख0सं0 1257 रकबा 2.0477 हैक्टेयर वाके ग्राम बाजड तह0 तालेडा में विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का 2:5 हिस्सा निहित है इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं02 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी सं0 4 का 1/5 हिस्सा निहित है। जो कि अनिभाजित कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित आराजी पर आपसी सहमति से मौके पर काबिज काश्त है जिसका अभी तक माप सीमांकन के आधार पर बटवारा नही हुआ है। जिससे वादी को भूमि का विकास करने , लोन प्राप्त करने तथा अन्य कार्य हेतु अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण को अनेको बार वर्तमान भोतिक स्थिति के अनुसार अर्थात काश्त अनुसार सहमति बटवारा तहसील में करवा लेते है किन्तु प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते रहे कि निकट भविष्य में कब्जा काश्त अनुसार विधिवत विभाजन करवा लेंगे। किन्तु दिनांक 21.6.2023 को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने बटवारा से इन्कार कर दिया तथा वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी लगाई। तब वाद कारण उत्पन्न हुआ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद पत्र वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर स्वीकार फरमा कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय व डिक्री जारी की जावे कि–

वादी को कृषि भूमि ख0सं0 1236 रकबा 0.4856 हैक्टे0, ख0सं0 1257 रकबा 2.0477 हैक्टे0 वाके ग्राम बाजड में 2/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी के 2/5 हिस्से को पृथक से माप एवं सीमांकन के आधार पर प्रतिवादीगण से विधिवत विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से से जबरन बेदखल नही करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वादी को प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा पेश नही करने से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के [illegible] एकतरफा कार्यवाही की गई।

दौराने वाद वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित ने प्रतिवादी सं0 3 राधेश्याम पुत्र [illegible] लाल जाति बैरवा नि0 विनायका से कय कर ली गई है। इस कारण प्रतिवादी सं0 6 राजी पत्नि महावीर [illegible] बैरवा निवासी देहित को [illegible] होने के नाते बटवारा के वाद में आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर नकल जमाबन्दी से राधे[illegible] आ0 श्रवणलाल ने अपना [illegible] 5 राजी पत्नि महावीर बैरवा को बेचान करना पाया जाने से वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित को प्रतिवादी बनाया गया। वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसमे प्रतिवादी सं0 6 राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित अंकित की गई।

प्रतिवादी सं0 6 को जर्ये नोटिस तलब किये जाने पर जर्ये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा राधेश्याम आ0 श्रवणलाल जाति बेरवा के हिस्से की भूमि कय कर ली गई है एवं काबिज कास्त है। जवाबकर्ता बटवारा कराने के लिए तैयार है।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 321 ग्राम बाजड संवत् 2076 की प्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:32:07 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन पश्चात वाद–वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया कि वह वादी एवं प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 व 6 के मध्य नकल जमाबन्दी खाता सं0 321 वाके ग्राम बाजड संवत् में वर्णित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के तहत विवादित कृषि भूमि का मौके पर कब्जा काश्त एवं उनके निहित हिस्सानुसार प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें । तहसीलदार तालेडा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.1. 2024 की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार कर प्रस्तुत किया गया ।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र घमनराम जाति बैरवा सा0 मानसरोवर	बाजड	1257 (पूर्व)	1.01332 हैक्टे.
2	मनमोहन(ना.बा.) पुत्र धन्ना (ना.बा. की संरक्षक माता रोशन बाई), मु0 रोशन बाई पत्नि धन्ना लाल जाति नायक, शान्तिबाई पुत्री लछमन जाति नायक सा. देह	बाजड	1257(पश्चिम)	1.01332 हैक्टे.
3	राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा सा0 रामदेव जी का मन्दिर ग्राम देहित तह0 तालेडा जिला बून्दी	बाजड	1257 (उत्तर) 1236 कुल किता 2	0.02106 हैक्टे. 0.4856 हैक्टे. 0.50666 हैक्टे.

तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का अभिभाषक पक्षकारान् को अवलोकन करवाये जाने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण ने सहमति व्यक्त की गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार तालेड़ा वाद अंतिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि निम्नप्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र घमनराम जाति बैरवा सा0 मानसरोवर	बाजड	1257 (पूर्व)	1.01332 हैक्टे.
2	मनमोहन(ना.बा.) पुत्र धन्ना (ना.बा. की संरक्षक माता रोशन बाई), मु0 रोशन बाई पत्नि धन्ना लाल जाति नायक, शान्तिबाई पुत्री लछमन जाति नायक सा. देह	बाजड	1257(पश्चिम)	1.01332 हैक्टे.
3	राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा सा0 रामदेव जी का मन्दिर ग्राम देहित तह0 तालेडा जिला बून्दी	बाजड	1257 (उत्तर) 1236 कुल किता 2	0.02106 हैक्टे. 0.4856 हैक्टे. 0.50666 हैक्टे.

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन यथावत रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या.....01.........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01...........
[illegible]
मजिस्ट्रेट [illegible] (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:32:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री घम्मनराम उम्र व्यस्क जाति बैरवा निवासी मानसरोवर अजमेंर जिला अजमेर

......वादी

बनाम

1. रोशनबाई पत्नि स्व. धन्नालाल जाति नायक निवासी बाजड तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. मनमोहन पुत्र धन्नालाल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता रोशनबाई पत्नि धन्नालाल जाति नायक निवासी बाजड तह0 तालेडा जिला बून्दी
3. राधेश्याम पुत्र श्रवण लाल जाति नायक निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी
4. शांतिबाई पत्नि लछमन जाति नायक निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)
6. राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी

...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

67/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री नन्द सिंह सोंलकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद–वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार तालेड़ा वाद अंतिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि निम्नप्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। यदि बैंक को कोई रहन हो तो बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र धमनराम जाति बैरवा सा0 मानसरोवर	बाजड	1257 (पूर्व)	1.01332 हैक्टे.
2	मनमोहन(ना.बा.) पुत्र धन्ना (ना.बा. की संरक्षक माता रोशन बाई), मु0 रोशन बाई पत्नि धन्ना लाल जाति नायक, शान्तिबाई पुत्री लछमन जाति नायक सा. देह	बाजड	1257(पश्चिम)	1.01332 हैक्टे.
3	राजी पत्नि महावीर जाति बैरवा सा0 रामदेव जी का मन्दिर ग्राम देहित तह0 तालेडा जिला बून्दी	बाजड	1257 (उत्तर) 1236 कुल किता 2	0.02106 हैक्टे. 0.4856 हैक्टे. 0.50666 हैक्टे.

नीज............................ मुवक्किल................................ बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाब[illegible] हु[illegible] मुतफरिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज [illegible] 2024 को जारी की गई।

मोहर

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या.................

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच [illegible]
सिविल [illegible] न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:32:07 IST
Reason: SelfAttested